कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में नवोन्मेष के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता की मांग का प्रस्ताव

Proposal seeking financial assistance for promoting innovations in agriculture and allied Sectors

क. प्रसंग

Context

जबकि पिछले चार दशकों में कृषि में प्रगति का भारत का रिकॉर्ड काफी प्रभावशाली रहा है फिर भी भारतीय कृषि विभिन्न समस्याओं से घिरी हुई है जैसे कृषि उत्पादकता की वृद्धि में स्थिरता, बढ़ती इनपुट लागत, मुनाफे में गिरावट, जलवायु जोखिमों का उद्भव, बढ़ती क्षेत्रीय असमानताएं, अस्थिर कीमतें. और प्रतिकूल व्यापार, जिससे खेती अलाभकारी हो गई है. कृषि जोत के हाशिए पर चले जाने से यह समस्याएं और भी बढ़ गई हैं. लघु एवं सीमान्त जोत कुल भूमि जोत का 87% है. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 70वें दौर के अनुसार, एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों के संबंध में, शुद्ध मासिक आय (कृषि और गैर-कृषि) नकारात्मक थी और उत्पादक आस्तियों में शुद्ध निवेश अल्प था, जो यह दर्शाता है कि भारत में छोटे पैमाने पर खेती अप्रभावी है. ये कारक संचयी रूप से किसानों के संकट में योगदान करते हैं और अधिकांश किसानों के लिए खेती के कार्य को बंद करने का कारण हैं.

While India's record of progress in agriculture over the past four decades has been quite impressive, Indian agriculture is beset with problems like stagnation in growth of agricultural productivity, rising input costs, fall in profits, emergence of climate risks, growing regional disparities, volatile prices and unfavourable trade, making the farming un-remunerative. This is further exacerbated by the marginalization of farm holdings. Small and marginal holdings constitute 87% of the total land holding. As per the 70th round of the National Sample Survey (NSS), in respect of farmers having less than one hectare of land, the net monthly income (farm and nonfarm) was negative and the net investment in productive assets was meagre, indicating that small-scale farming is inefficient in India. These factors cumulatively contribute to farmer's distress and are the reasons for a majority of farmers to discontinue farming.

कृषि क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों के बीच प्रति व्यक्ति आय में बढ़ते अंतर के परिणामस्वरूप युवा इस पेशे को छोड़ रहे हैं और नौकरी के अन्य अवसरों की तलाश कर रहे हैं. यद्यपि भारतीय अनुसंधान ने खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, फिर भी एक बड़ी कृषि आबादी कई कारणों से गरीबी उन्मूलन और आय सृजन के लिए आशाजनक शोध निष्कर्षों के लाभों से वंचित है. इस बात की अनुभूति बढ़ रही है कि व्यवसाय के सामान्य दृष्टिकोण से वर्तमान में किसानों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं होगा और मौजूदा समस्याओं से निपटने के लिए दृष्टिकोण/ प्रक्रिया में एक आदर्श बदलाव की आवश्यकता है.

The intensifying gaps in per capita income between the farm sector and other sectors are resulting in the youth opting out of the profession and hunting for other job opportunities. Though Indian research has contributed substantially to the food production, a large agrarian population is still deprived of the benefits of promising research findings for poverty alleviation and income generation due to several reasons. There is a growing realization that the business as usual approach will not solve the problems currently faced by the farmers and warrants a paradigm shift in approach/process to surmount the existing problems.

ख. अनुदान निधीयन के माध्यम से नवोन्मेष

Innovations through Grant Funding

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने अति संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्रों/ क्षेत्रों/ किसानों के वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में नवोन्मेषों और प्रौद्योगिकियों के प्रसार को बढ़ावा देने हेतु कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि का सृजन किया है. नाबार्ड नवोन्मेषी सहायता प्रदान करने हेतु पात्र इकाइयों से प्रस्ताव मांगता है ताकि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में किसानों के लिए मूल्य में वृद्धि की जा सके.

The National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) has created the Farm Sector Promotion Fund to incubate innovations and diffusion of technologies in the realm of agriculture and allied sectors to benefit vulnerable geographies/sectors/ classes of farmers. NABARD seeks proposals from the eligible entities for supporting innovations to add value to farmers in the sphere of agriculture and allied sectors.

ग. नवोन्मेषों की रूपरेखा

Contours of Innovations

सरल शब्दों में, नवोन्मेष एक नया विचार, एक अधिक प्रभावी उपकरण या प्रक्रिया, एक नया व्यवसाय मॉडल या उसका कोई संयोजन हो सकता है. नवोन्मेषों में रणनीतिक सहयोगों का विकास, स्थानीय ज्ञान का उपयोग करने वाला जुड़ाव, किफायती उत्पाद और सेवाएं, बाजारों और वित्त तक पहुंच और, सबसे महत्वपूर्ण, सामुदायिक स्वामित्व शामिल हैं. नवोन्मेष का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों की उत्पादकता बढ़ाना, कठिन श्रम में कमी करना, आय का स्तर बढ़ाना, स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करना और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल होना, इसके अलावा जेंडर और सामाजिक समानता के मुद्दों को संबोधित करना होना चाहिए. नवोन्मेषों के आयामों में एक नया उत्पाद विकसित करना, मौजूदा उत्पाद के लिए नई प्रक्रिया, मौजूदा उत्पाद/प्रक्रिया को नए स्थान पर अपनाना/ इसकी प्रतिकृति बनाना, नई अवधारणा का परीक्षण करना, परीक्षण की गई अवधारणा के लिए प्रोटोटाइप विकसित करना, नवीन प्रौद्योगिकियों/ उपकरणों/ उत्पादों/ प्रक्रियाओं या किसी अवधारणा को बढ़ाने, जिसे प्रोटोटाइप किया गया हो, के लिए पेटेंट कराना शामिल है.

In simple terms, Innovation could be a new idea, a more effective device or process, a new business model or any combination thereof. Innovations include development of strategic interventions, engagements that use local knowledge, affordable products and services, access to markets and finance and, most importantly, community ownership. The innovation must aim at increasing productivity of the rural poor, reducing drudgery, increasing income levels, creating sustainable employment opportunities and be environmentally benign besides, addressing gender and social equity issues. The dimensions of innovations include developing a new product, new process for an existing product, adapting/replicating an existing product/process in a new location, testing a new concept, developing a prototype for a tested concept, patenting for innovative technologies/ devices/products/processes or scaling up a concept, which has been prototyped.

घ. सहायता के विषयगत क्षेत्र

Thematic Areas of Support

उपर्युक्त उद्देश्यों में से किसी एक को शामिल करने वाले निम्नलिखित विषयगत क्षेत्रों को संबोधित करने वाले प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाएगी:

• किसानों की समस्याओं का समाधान लाना

• वर्षा आधारित, पहाड़ी और पर्वतीय, शुष्क भूमि, जनजातीय और तटीय क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना.

• किसानों की क्षमता निर्माण और उन्हें बाजारों से जोड़ने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग

• स्थायी आधार पर कृषि आय की उत्पादकता और लाभप्रदता में सुधार करना.

• जेंडर और समानता के मुद्दों को मुख्यधारा में लाना

• समावेशी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना

• सार्वजनिक-निजी भागीदारी बनाना

• पूर्ववर्ती परियोजनाओं में पहले से ही परीक्षण किए गए नवोन्मेषों का उन्नयन

Proposals addressing the following thematic areas encompassing any of the above objectives will be given preference:

- Bringing solutions to the problems of farmers' distress
- Addressing issues connected to rainfed, hilly and mountainous, dry land, tribal and coastal areas.

- Use of Information and Communications Technology (ICT) for capacity building of farmers and connecting them to markets
- Improving productivity and profitability of farm incomes on a sustainable basis.
- Mainstreaming of gender & equity issues
- Strengthening inclusive value chain
- Forging public-private partnerships
- Upscaling of innovations already tested in preceding projects

ङ जो पात्र नहीं है?

What is not eligible?

- सामान्य प्रस्तावों की तरह दिनचर्या और व्यवसाय
- परियोजना क्षेत्र में किसानों द्वारा पहले से ही अपनाए गए सहयोग
- बुनियादी अनुसंधान परियोजनाएं
- लंबी अवधि वाली परियोजनाएं
- नियमित कौशल विकास/प्रशिक्षण कार्यक्रम
- प्रस्ताव, जिनसे किसानों की आय में वृद्धि नहीं हो रही है
- Routine and business as usual proposals
- Interventions already adopted by farmers in the project area
- Basic research projects
- Long-gestation projects
- Routine skill development/training programmes
- Proposals, which are not leading to enhanced incomes of farmers

च. पात्र संस्थाएं

Eligible Institutions

• अनुसंधान संस्थाएं, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान

• गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), पंजीकृत समुदाय-आधारित संगठन (सीबीओ)

• कॉरपोरेट्स द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित न्यास/ प्रतिष्ठान

• कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम करने वाली निजी फर्म

• पंजीकृत उत्पादक संगठन/जन संगठन, जिसमें किसान क्लबों का संघ भी शामिल है

• गैर सरकारी संगठनों/किसान क्लबों/नाबार्ड के अन्य भागीदार संगठनों द्वारा प्रायोजित व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह

• वाणिज्यिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)/सहकारी बैंक और उनके प्रशिक्षण प्रतिष्ठान और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)

• कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) प्रतिष्ठान/ कॉर्पोरेट द्वारा स्थापित अन्य इकाईयां

• स्वयं सहायता समूह संघ और पशु विज्ञान केंद्र (पीवीके)

• कृषि क्षेत्र के अंतर्गत प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान प्रदान करने वाले कृषि स्टार्ट अप, नाबार्ड की सहायक संस्थाएं.

- Research institutions, State Agriculture Universities, Krishi Vigyan Kendras (KVKs), reputed management institutes

- Non-government organizations (NGOs), registered community-based organizations (CBOs)

- Reputed trusts/foundations established by corporates

- Private firms working in the field of agriculture and rural development

- Registered producers' organizations/people's organizations, including federation of Farmers' Clubs

- Individuals/groups of individuals sponsored by NGOs/Farmers' Clubs/other partner organizations of NABARD

- Commercial Banks/Regional Rural Banks (RRBs)/Cooperative Banks and their training establishments and Rural Self-employment Training Institutes (RSETIs)

- Corporate social responsibility (CSR) foundations/other entities established by the Corporates

- SHG Federations & Pashu Vigyan Kendras (PVKs)

- Agri stratups providing technology- based solutions under the farm sector, Subsidiaries of NABARD.

छ. परियोजना की अवधि

Duration of the Project

आम तौर पर, अधिकतम तीन वर्ष की अवधि वाली परियोजनाओं/कार्यक्रमों को इस निधि के तहत सहायता के लिए विचार किया जाएगा.

तथापि, असाधारण मामलों में, आवश्यकता की वास्तविकता के अधीन, अवधि को योग्यता के आधार पर एक या दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है.

Normally, the projects/programmes having a maximum duration of three years would be considered for support under the Fund. However, in exceptional cases, subject to the genuineness of the requirement, the period may be extended by one or two years on merit.

ज. व्यय की पात्र मदें

Eligible items of Expenditure

सहायता के लिए पात्र वस्तुओं में मोटे तौर पर उपकरण की लागत, परियोजना/कार्यक्रम से जुड़ी प्रशासनिक और आवर्ती लागत, मुख्य कर्मचारियों के वेतन और परियोजना के तहत वास्तविक रूप से किए जाने वाले अन्य विविध व्यय शामिल हैं.

Items eligible for assistance broadly include, the cost of equipment, administrative and recurring costs connected with the project / programme, including core staff's salary and other miscellaneous expenditures, genuinely to be incurred under the project.

इमारतों, परिवहन वाहनों, फर्नीचर, उच्च लागत वाली मशीनरी आदि की खरीद जैसे पूंजीगत व्ययों पर सहायता के लिए विचार नहीं किया जाएगा. तथापि, जहाँ भी आवश्यक हो, परिसर, मशीनरी आदि को किराये पर लेने के लिए चयनात्मक आधार पर सहायता के लिए विचार किया जा सकता है. इसके अलावा, डीपीआर के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के संबंध में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और इंटर ऑफ थिंग्स वाली परियोजनाओं के लिए आवश्यकता आधारित पूंजीगत व्यय 40% तक और अन्य परियोजनाओं के लिए कुल परियोजना लागत में से 20% तक की मंजूरी पर विचार किया जाता है.

Capital expenditures like purchase of buildings, transport vehicles, furniture, high cost machinery, etc., will not be considered for support. However, support for hiring premises, machinery, etc. wherever necessary, may be considered on a selective basis. Further, need based capital expenditure upto 40% for projects having component of artificial intelligence, machine learning and inter of

things and 20% out of the total project cost for other projects is considered for sanction in respect of projects sanctioned under DPR.

झ. सहायता की मात्रा

Quantum of Assistance

नाबार्ड की सहायता परियोजना परिव्यय के अधिकतम 95% तक सीमित होगी. परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) का योगदान 5% होगा और इसे पीएफए द्वारा विस्तारित बुनियादी ढांचे, जनशक्ति और अन्य संसाधन सहायता के लिए मुद्रीकृत किया जा सकता है.

NABARD assistance will be limited to a maximum of 95% of the project outlay. The contribution of Project Implementing Agencies (PIAs) will be 5% and it can be monetized towards infrastructure, manpower and other resource support extended by the PFAs.

ञ. सहायता का प्रकार

Mode of Assistance

इस निधि से सहायता अनुदान के रूप में होगी जिसका निर्णय प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर नाबार्ड द्वारा किया जाएगा.

The assistance from the Fund will be in the form of grant as decided by NABARD on the merits of each case.

ट. प्रस्तावों को प्रस्तुत करना

Submission of Proposals

पात्र इकाइयों को संलग्न आवेदन के प्रारूप के अनुसार नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्ताव जमा करना होगा. प्रारूप का प्रकार आवेदक की प्रकृति पर निर्भर करेगा, जैसा कि नीचे बताया गया है:

The eligible entities will be required to submit the proposals to the concerned Regional Office of NABARD, as per the enclosed application format. The type of format would depend on the nature of applicant, as detailed below:

• एक संगठन - अनुलग्नक-2 और 4

• एक व्यक्तिगत नवप्रवर्तक - अनुलग्नक-3 और 4

• सभी प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक सामान्य अनुबंधों में शामिल हैं;

क) नवोन्मेषों को सहायता प्रदान करने के लिए आवेदन प्रारूप - अनुबंध-1

ख) गतिविधि योजना - अनुबंध-5

ग) लॉग फ्रेम (सभी प्रतिभागियों के लिए समान) - अनुबंध-6

- An organization – Annexures-2 & 4
- An individual innovator – Annexures-3 & 4
- Common Annexures required to be submitted by all the proponents include;
    a) Application Format for supporting innovations – Annexure-1
    b) Activity Plan – Annexure-5
    c) Log Frame (common to all participants) – Annexure-6

प्रस्तावक को नाबार्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित आवेदन में प्रारूप प्रस्तुत करना होगा. आवेदन प्रारूप की हस्ताक्षरित प्रति और संबंधित दस्तावेजों को विधिवत भरकर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में जमा किया जा सकता है.

The proponent shall submit the prescribed application formats available on the website of NABARD. The signed copy of the application format and related documents duly filled in, may be submitted to the concerned Regional Office.

ठ. चयन के मानदंड

Criteria for Selection

प्रस्तावकों के पास उस क्षेत्र में सिद्ध योग्यता और उस उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए जिसके लिए सहायता मांगी गई है. सहायता मांगने वाली इकाइयों को संबंधित अधिनियमों के तहत पंजीकृत होना चाहिए, उनके पास कम से कम तीन वर्ष का लेखापरीक्षित तुलन-पत्र और लाभ और हानि के खाते होने चाहिए और उनके पास परियोजना को कार्यान्वयन करने और निगरानी करने के लिए आवश्यक कर्मचारी, विशेष रूप से तकनीकी कर्मचारी होने चाहिए. अनुसंधान संस्थान /विश्वविद्यालय/ अन्य शैक्षणिक संस्थान प्रतिष्ठित होने चाहिए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), आदि जैसा भी मामला हो, जैसे संस्थानों द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त होनी चाहिए.

The proponents should have proven competence in the field and commitment to the cause for which assistance is sought. The entities seeking assistance must be registered under the relevant Acts, have minimum of three years audited balance sheets and profit and loss accounts and ,have requisite staff, particularly technical staff, to implement and monitor the project. The research institutions/ universities/other academic institutions should be of repute and are duly recognized by the institutions such as the University Grants Commission (UGC), the All India Council for Technical

Education (AICTE), the Indian Council of Agricultural Research (ICAR), the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), etc., as the case may be.

ड़. परियोजना का मूल्यांकन

Appraisal of the project

इस प्रस्ताव का मूल्यांकन मैट्रिक्स, अनुबंध-7 के अनुसार और मानदंडों के आधार पर किया जाएगा. इस परियोजना की मंजूरी क्षेत्रीय कार्यालय/ प्रधान कार्यालय द्वारा मंजूरी शक्ति की प्रत्यायोजन सीमा के अनुसार की जाएगी.

The proposals will be appraised based on the evaluation matrix, as per Annexure-7 and the rating norms.

The projects will be sanctioned by the RO/ HO as per extant delegation of sanctioning powers.

ढ़. प्रगति रिपोर्ट का दस्तावेजीकरण, अनुप्रवर्तन और प्रस्तुतीकरण

. **Documentation, Monitoring and Submission of Progress Reports**

संस्थाएं/व्यक्ति उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने और साकार करने की दृष्टि से परियोजनाओं/कार्यक्रमों की बारीकी से निगरानी करेंगे और एक परियोजना के गठन के माध्यम से नाबार्ड को इसके बारे में सूचित रखेंगे.

The institutions/individuals will undertake to closely monitor the projects/programmes with a view to achieving and realizing the objectives and goals and keep NABARD informed of the same through constitution of a Project.

समीक्षा के लिए पीएमसी को निगरानी और समीक्षा प्रपत्र (अनुलग्नक-9 के अनुसार) पिछले माह की प्रगति की समीक्षा के लिए पीएमसी किसी दिए गए माह के पहले और पांचवें दिन के बीच आयोजित की जाएगी. एजेंसी को परियोजना पूरी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर परियोजना पूर्ण होने की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी.

Monitoring Committee (PMC), depending on the size and nature of project, by nominating NABARD representative on the same. The proponent shall submit the Implementation Schedule Review (as per Annexure-8) and self-filled. Montoring and Review form (as per Annexure-9) to PMC for review. The PMC will be conducted between the first and the fifth day of a given month to review the progress of the previous month. The agency is required to submit a project completion report within 30 days from the date of completion of the project.

ण. सहायता का उपयोग

Utilization of Assistance

वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली पात्र संस्थाओं/व्यक्तियों को नाबार्ड से प्राप्त सहायता के उचित उपयोग के लिए एक वचन पत्र देना होगा. जहां नाबार्ड से प्राप्त सहायता का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया है जिसके लिए इसे जारी किया गया था और कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं आया है, तो नाबार्ड अनुदान सहायता की पूरी राशि को इस पर लगाए जाने वाले ब्याज या किसी अन्य दंडात्मक शुल्क के साथ वापस ले लेगा.

Eligible institutions/individuals availing of financial assistance would be required to give an undertaking for proper utilization of assistance received from NABARD. Where the assistance received from NABARD has not been utilized for the purpose for which, it was released and no satisfactory explanation is forthcoming, NABARD will recall the entire amount of grant assistance at once, along with interest or any other penal charge, leviable on the same.

प. नाबार्ड के अधिकार

NABARD's Rights.

प्राप्तकर्ता नाबार्ड की लिखित अनुमति के बिना, नाबार्ड द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना की रिपोर्ट/शोध निष्कर्ष/परिणाम प्रकाशित नहीं करेगा. इसके अलावा, नाबार्ड को प्रशिक्षण, प्रचार आदि के लिए अपने आंतरिक उपयोग हेतु इसका उपयोग करने का अधिकार होगा. जहां नाबार्ड द्वारा सहायता प्राप्त अध्ययनों के लिए अनुसंधान के परिणाम पेटेंट प्राप्त करने या किसी भी रूप में व्यावसायिक उपयोग की ओर ले जाते हैं, तो नाबार्ड के पास यह अधिकार होगा कि संबंधित संस्थाओं/ व्यक्तियों द्वारा अर्जित लाभ में हिस्सेदारी की मांग करें. किसी भी स्थिति में, प्रस्तावक को नाबार्ड के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी तीसरे पक्ष को निष्कर्ष/उत्पाद बेचने का अधिकार नहीं होगा. सीएसआर दायित्वों को पूरा करने के लिए कॉरपोरेट्स द्वारा संवर्धित सीएसआर प्रतिष्ठान/ इकाईयां अपने व्यावसायिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए परियोजना से उत्पन्न परिणामों/ लाभों/ व्यावसायिक हितों का उपयोग नहीं करेंगी.

The recipient shall not publish the reports/research findings/results of the project supported by NABARD, without a written permission of NABARD. Further, NABARD shall have the right to use the same for its internal use for training, publicity, etc. Where the results of research for studies assisted by NABARD lead to obtaining of patent or to commercial exploitation in any form, NABARD shall have the right to demand a share in the gains made by the concerned institutions/ individuals. In no case, the proponent shall have a right to sell the findings/products to a third party, without the prior approval of NABARD. CSR foundations /entities promoted by corporates for meeting CSR obligation shall not use the outcomes/gains/commercial interests generated from the project for furthering their commercial interests.

संस्थाओं/ व्यक्तियों जिनको इस निधि के तहत सहायता प्रदान की गई है, नाबार्ड के पास ऐसी संस्थाओं/ व्यक्तियों के खाता बहियों तक पहुंच का अधिकार होगा. पात्र संस्थाओं/व्यक्तियों को अनुबंध-10 में दिए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र/ वचन पत्र/

घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा. मंजूरी के नियम और शर्तें, निष्पादित किए जाने वाले समझौते और एमआईएस रिपोर्ट के प्रारूप क्रमशः अनुबंध-11, 12 और 13 (भाग ए, बी और सी) में दिए गए हैं.

NABARD shall have right to access the books of accounts of the institutions/ individuals to be provided with assistance under the Fund. Eligible institutions/individuals would be required to submit a certificate/ undertaking/ declaration as set out in Annexure-10. Formats of Terms and Conditions of sanction, Agreement to be executed and MIS reports are given Annexures-11, 12 & 13 (Part A, B & C), respectively